न्यायालय जिला कलक्टर, सीकर

पीठासीन अधिकारी, कमर उल जमान चौधरी, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या 05/2018/निगरानी

भागचन्द पुत्र रामनाथ, जाति जाट, निवासी वार्ड नं. 1, किशनपुरा, तहसील दांतारामगढ़, जिला–सीकर (राज.)

–निगरानीकर्ता

बनाम

गणपत पुत्र रामदेव, जाति बांवरिया, निवासी वार्ड नं. 5, अखैपुरा, तहसील दांतारामगढ़, जिला–सीकर (राज.)

–गैर निगरानीकर्ता

उपस्थितः–

1. श्री सागरमल धायल, अधिवक्ता निगरानीकर्ता की ओर से।

निगरानी विरूद्ध प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 15.05.2017 एवं तदन्तर्गत जारी पट्टा संख्या 1 दिनांक 15.05.2017 द्वारा ग्राम पंचायत किशनपुरा पं.स.पिपराली जिला सीकर

निर्णय

दिनांकः 11 जून, 2024

1. निगरानीकर्ता की ओर से वकील श्री सागरमल धायल ने ग्राम पंचायत किशनपुरा पंचायत समिति पिपराली के प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 15.05.2017 एवं तदन्तर्गत जारी पट्टा संख्या 1 दिनांक 15.05.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से होना अंकित किया हैः–

(1) चारागाह भूमि खसरा नम्बर 334 रकबा 16.66 हैक्टेयर तन ग्राम किशनपुरा तहसील दांतारामगढ़ में से 0.02 हैक्टेयर भूमि अवैध रूप से किस्म परिवर्तित करवाकर ग्राम पंचायत ने रेस्पोडेन्ट के हक में बिना कब्जा व निगरानीकर्ता को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का मौका दिये बिना ही निगरानीकर्ता के खेत खसरा नम्बर 350 तन किशनपुरा के रास्ते की भूमि का विरूद्ध कानून अपने प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 15.05.2017 एवं तदन्तर्गत जारी पट्टा संख्या 1 दिनांक 15.05.2017 जारी कर दिया।

(2) निगरानीकर्ता की भूमि खसरा नम्बर 350 ग्राम किशनपुरा तहसील दांतारामगढ़ में उत्तरी तरफ से कटानी रास्ता आ रहा है, जो आगे खसरा नम्बर 321 से होकर खसरा नम्बर 334 की पूर्वी सीमा से कुछ हटकर, जो निगरानी के साथ प्रस्तुत

कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर

नजरी नक्शे में मौके पर मौजूद रास्ते को दर्शित किया गया है, उसी रास्ते से निगरानीकर्ता अपने पूर्वजों के समय से अपनी काश्त भूमि में आवागमन करता आ रहा है, बाकी तरफ रास्ते के अलावा भूमि खसरा नम्बर 334 में नले पड़े हुए हैं व उबड़ खाबड़ भूमि है उक्त रास्ते को निगरानीकर्ता व उसके परिजनों ने काफी खर्चा कर रास्ता कायम किया है। विवादित भूमि खसरा नम्बर 334 तरमीम खसरा नम्बर 772/334 रकबा 0.02 हैक्टेयर जो चारागाह भूमि है।

(3) गैरनिगरानीकर्ता का विवादित पट्टे की जगह पर न तो पूर्व में कब्जा रहा न ही वर्तमान में है। गैरनिगरानीकर्ता की ग्राम पंचायत के वार्ड नं. 5 ग्राम अखैपुरा में आवासीय गुवाड़ी बनी हुई है व वहीं पर गैरनिगरानीकर्ता मय परिवार आवास निवास करता आ रहा है।

(4) आज्ञा जेर निगरानी पारित करने से पूर्व न तो ग्राम पंचायत ने हितबद्ध पक्ष निगरानीकर्ता को कोई नोटिस व सूचना दी ना ही निगरानीकर्ता को अपना कथन व सबूत प्रस्तुत करने का मौका दिया।

(5) ग्राम पंचायत में आबादी के लिहाज से आबादी भूमि उपलब्ध होते हुए भी स्थानीय राजनैतिक प्रभाव का दुरूपयोग करते हुए ग्राम पंचायत ने निगरानीकर्ता की रास्ते की भूमि जो समतल व रास्ता उपयोगी बनायी हुई थी उसमें से 0.02 हैक्टेयर भूमि का बिना आवश्यकता व उपयोगिता के न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर से सही तथ्य छुपाकर आबादी विस्तार हेतु भूमि आबंटन करवायी है।

(6) गैरनिगरानीकर्ता ग्राम पंचायत द्वारा दिये गये पट्टे की भूमि पर कभी काबिज नहीं रहा, पट्टे की भूमि ग्राम किशनपुरा में स्थित है व गैरनिगरानीकर्ता ग्राम अखैपुरा के वार्ड नं. 5 में आवास निवास करता आ रहा है व जो पट्टे की भूमि नक्शा ट्रेस में दर्शित की गयी है उक्त संपदा (भूखण्ड) निगरानीकर्ता के रास्ते के उपयोग उपभोग में आ रही है।

(7) आबादी विस्तार का क्षेत्राधिकार मात्र जिला कलक्टर को है, प्रस्तुत प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी सीकर ने चारागाह भूमि को किस्म सिवायचक व फिर आबादी भूमि दर्ज करने की आज्ञा विधि विरूद्ध व कानूनी प्रावधानों के विपरीत जारी की है। ग्राम पंचायत ने उपखण्ड अधिकारी सीकर के आबंटन आदेश में रखी शर्त संख्या 1, 2 की कतई पालना नहीं की है।

अतः निगरानी पेश कर निवेदन है कि आज्ञा जेर निगरानी ग्राम पंचायत किशनपुरा पंचायत समिति पिपराली के प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 15.05.2017 व

कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर

उसके आधार पर तदन्तर्गत जारी पट्टा संख्या 1 दिनांक 15.05.2017 को निरस्त फरमाया जावे।

2. निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर गैर निगरानीकर्ता को जरिये नोटिस तलब किया गया व ग्राम पंचायत से रिकॉर्ड तलब किया गया। गैर निगरानीकर्ता बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा।

3. ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत किशनपुरा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांकित 24.07.2018 में अंकित किया गया है कि, "गणपत बावरिया द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान दिनांक 28.03.2013 को प्रभारी उपखण्ड अधिकारी सीकर के समक्ष कैम्प किशनपुरा में आवास हेतु भूखण्ड आवंटन के लिए आवेदन करने पर नायब तहसीलदार पलसाना की अभिशंषा दिनांक 26.03.2013 के अनुसार राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसरण में ग्राम किशनपुरा तहसील दातांरामगढ़ स्थित भूमि खसरा न. 334 रकबा 16.66 हैक्टेयर किस्म चारागाह में से 0.02 हैक्टेयर भूमि की किस्म खारिज की जाकर ग्राम पंचायत किशनपुरा को ग्राम किशनपुरा की आबादी विस्तार हेतु भूमि का आंवटन किये जाने पर उपतहसीलदार पलसाना के आदेशानुसार पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरण संख्या 555 द्वारा किस्म चारागाह रकबा 0.02 हैक्टेयर सिवायचक खसरा न. 334/1 दर्ज किया। नामान्तरण संख्या 556 द्वारा उक्त खसरा न. 334/1 सिवायचक सरकार के बजाय ग्राम पंचायत किशनपुरा के नाम गै.मु.आबादी दर्ज किया गया जो नायब तहसीलदार पलसाना द्वारा दिनांक 04.06.2013 को स्वीकृत किया गया। उक्त नामांन्तरण का राजस्व रिकार्ड मे अमल होने के पश्चात प्रार्थी गणपत पुत्र रामदेव बावरिया निवासी किशनपुरा (BPL परिवार) द्वारा आवास हेतु आवेदन करने पर दिनांक 15.05.2017 को पण्डित दीनदयाल उपाध्याय आबादी भूमि पट्टा वितरण अभियान में ग्राम पंचायत के प्रस्ताव संख्या 02 द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय व अनुमोदन के पश्चात प्रार्थी गणपतराम पुत्र रामदेव को 150 वर्गगज का पट्टा आंवटित भूमि में से जारी किया गया।"

4. वकील निगरानीकर्ता ने लिखित बहस पेश की है। निगरानीकर्ता के योग्य अभिभाषक ने अपनी लिखित बहस में निगरानी मीमो में अंकित तथ्यों के समर्थन में कथन अंकित किये हैं। लिखित बहस में अंकित तथ्य संक्षेप में निम्नानुसार हैं:—

(1) ग्राम पंचायत किशनपुरा ने अपने प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 15.05.2017 के द्वारा बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किये ही निगरानीकर्ता की रास्ते के उपयोग में

कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर

आ रही भूमि खसरा नम्बर 334 रकबा 16.66 हैक्टेयर किस्म चारागाह तन ग्राम किशनपुरा तहसील दांतारामगढ़ में से 0.02 हैक्टेयर भूमि अवैध रूप से किस्म परिवर्तित करवाकर गैरनिगरानीकर्ता के नाम पट्टा संख्या 1 दिनांक 15.05.2017 विधि के प्रावधानों के विपरीत जाकर जारी कर दिया। जबकी गैरनिगरानीकर्ता की ग्राम पंचायत के वार्ड नं. 5 ग्राम अखैपुरा में आवासीय गुवाड़ी बनी हुई है व वहीं पर गैरनिगरानीकर्ता मय परिवार आवास निवास करता आ रहा है। विवादित भूमि खसरा नम्बर 334 तरमीम खसरा नम्बर 772/334 रकबा 0.02 हैक्टेयर जो चारागाह भूमि है, जो धारा 16 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के प्रावधानों के विपरीत है, में ग्राम पंचायत किशनपुरा पंचायत समिति पिपराली के प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 15.05.2017 व उसके आधार पर तदन्तर्गत जारी पट्टा संख्या 1 दिनांक 15.05.2017 को निरस्त फरमाया जावे।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

5. हमने निगरानीकर्ता के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों मय रिपोर्ट ग्राम विकास अधिकारी का अवलोकन किया। जिससे निम्न तथ्य स्पष्ट होते हैं कि,

(1) ग्राम पंचायत किशनपुरा ने चारागाह भूमि खसरा नम्बर 334 रकबा 16.66 हैक्टेयर तन ग्राम किशनपुरा तहसील दांतारामगढ में से 0.02 हैक्टेयर भूमि की किस्म परिवर्तित की जाकर अपने प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 15.05.2017 के द्वारा रेस्पों. गणपत के नाम पट्टा संख्या 1 दिनांक 15.05.2017 जारी कर दिया।

(2) निगरानीकर्त्ता यह साबित करने में असफल रहे हैं कि रेस्पो. गणपत का आबादी में पूर्व में भी मकान बना हुआ है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में भी इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है और न ही निगरानीकर्ता द्वारा अपने कहे गये तथ्यों के समर्थन में कोई साक्ष्य दस्तावेज पेश किया है।

6. उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्त्ता की निगरानी तथ्यों से परे आधारहीन होना प्रतीत होती है। अतः प्रस्तुत निगरानी आधारहीन होने से **खारिज** की जाती है।

7. निर्णय आज दिनांक 11 जून, 2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर, सीकर

कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर